प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

क्रमांक 0032/2023-2024 [illegible]

दिनांक [illegible]

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण
संख्या R/JHA/03001/2023-2024

पत्रावली संख्या: J-12081 दिनांक 1998-1999

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि श्री घनाराम ग्राम विकास संस्थान, ग्रा०पो० बरौसा जिला झांसी, झांसी 284121 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- R-123/1998-1999 दिनांक-10/06/1998 दिनांक-10/06/2023 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1000 रूपये की नवीनीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

Digitally Signed By
(Anand Kumar Singh)
E33AABD5B25EE7AB3A440C36DFE37CDD3C2C769[illegible]
Date: 13/06/2023 5:38:42 PM, Location: Jhansi

जारी करने का दिनांक 13/06/2023

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

Manager
Seth M. R. Jaipuria school
Simardha, Jhansi

(Anita Bhatt)
Principal
Seth M. R. Jaipuria School
Simardha, JHANSI (U.P.)

संख्या 1545
09/09/13

सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण – पत्र

नवीकरण संख्या J-471 2013

फाइल संख्या \ J-1208/

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि श्री धनाराम ग्राम विकास संस्थान, ग्रा० पो० पारीछा जिला झांसी (उ०प्र०) को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 123/1998-99

दिनाँक 10/06/1998 को दिनाँक 10/06/2013 से पाँच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है।

1200/- रुपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनाँक 09/09/ 2013

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

Manager
Seth M. R. Jaipuria school
Simardha, Jhansi

(Anita Bhatt)
Principal
Seth M. R. Jaipuria School
Simardha, JHANSI (U.P.)

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

89AC 812599

यह जनरल स्टाम्प पेपर

जिला ... के ... साथ संलग्न है

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ०प्र० झाँसी

प्रबन्धक

Manager
Seth M. R. Jaipuria school
Simardha, Jhansi

(Anita Bhatt)
Principal
Seth M. R. Jaipuria School
Simardha, JHANSI (U.P.)

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

89AC 812598

यह जनरल स्टाम्प पपर श्री ... जिला झांसी पंजीकरण सं0 ... के ... संलग्न है

सहायक रजिस्ट्रार

फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

उ0प्र0 झाँसी

12-2-16

केन्द्रीय कार्यालय सहायक निबंधक उत्तर प्रदेश, झाँसी

Manager
Seth M. R. Jaipuria school
Simardha, Jhansi

(Anita Bhatt)
Principal
Seth M. R. Jaipuria School
Simardha, JHANSI (U.P.)

<u>स्मृति-पत्र</u>

1.संस्था का नाम	श्री धनाराम ग्राम विकास संस्थान
2.संस्था का पता	ग्राम-पारीछा पो. पारीछा जिला-झाँसी उ.प्र.
3.संस्था का कार्य क्षेत्र	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश रहेगा ।
4.संस्था के उद्देश्य	निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :

1. जनहित में लोगो को सामाजिक, नैतिक, चरित्रिक, शारीरिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक एंव मानसिक विकास करना जिससे राष्ट्र में सुयोग्य नागरिकों का विकास हो सके ।

2. जाति,धर्म और भाषा के आधार पर उत्पन्न द्वेष भावना का विनाश करना ।

3. पिछड़े जाति व अनुसूचित जातियों के बालक/बालिकाओं को शासन द्वारा दी जाने वाली सहायताओं से अवगत कराकर उन्हें सहायता प्राप्त कराने का प्रयास करना ।

4. बालक/बालिकाओं के विकास हेतु समय समय पर प्रतियोगिताएं आयोजित करना तद्‌र्थ प्रोत्साहित करना व उनके शैक्षिक विकास हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापनाकर संचालित करना व उसमें निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करना।

5. बालक/बालिकाओं के लिए निःशुल्क पुस्तकालय,वाचनालय,छात्रावास, व्यायामशाला व खेलकूद आदि की समुचित व्यवस्था करने का प्रयास करना ।

6. जाति धर्म और भाषा के आधार पर उत्पन्न द्वेष भावना, वैमनुष्यता की भावनाओं को दूर कर उनमें राष्टीय एकता की भावना का विकास करने का प्रयास करना जिससे राष्ट्र में सुयोग्य नागरिकों का निमार्ण को सके ।

7. गरीब,अनुसूचित जातियों के बालिकाओं/महिलाओं के निःशुल्क तकनीकी प्रशिक्षण हेतु सिलाई,कढ़ाई,बुनाई,पेंटिंग, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, आँगनबाड़ी केन्द्र आदि प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना कर उन्हें संचालित करना का प्रयास करना जिससे महिलाएँ आत्म निर्भर हो सकें।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
झाँसी

Manager
Seth M. R. Jaipuria school
Simardha, Jhansi

(Anita Bhatt)
Principal
Seth M. R. Jaipuria School
Simardha, JHANSI (U.P.)

5. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों/सदस्यों के नाम, पिता/पति का नाम, पद एवं व्यवसाय जिन्हें संस्था के नियमों के अनुसार कार्यभार सौंपा गया :

क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री चन्द्रपाल सिंह यादव	श्री ठाकुरदास यादव	466 मसीहागंज, सीपरी बाजार, झाँसी	अध्यक्ष	विधायक/कृषि
2.	श्री वीर सिंह यादव	श्री भगवानदास	पारीछा, झाँसी	उपाध्यक्ष	कृषि
3.	श्री श्याम सुन्दर सिंह	श्री घनाराम	440/4, कचहरी	प्रबन्धक/मंत्री	एम.एल.सी./कृषि
4.	श्री छत्रपाल सिंह	श्री तुलसीराम	रायगंज सीपरी बाजार, झाँसी	उपप्रबन्धक	ठेकेदारी
5.	श्री बिशन सिंह	श्री घनाराम	पारीछा, झाँसी	कोषाध्यक्ष	ठेकेदारी
6.	श्री राजेश त्रिवेदी	स्व.श्री श्रीराम	पारीछा, झाँसी	आय व्यय निरीक्षक	कृषि
7.	श्री बलराम सिंह	श्री भगवानदास	ग्रा. जोरी बुजुर्ग	सदस्य	कृषि
8.	श्री उदय सिंह	श्री कालका प्रसाद	पारीछा, झाँसी	सदस्य	कृषि
9.	श्री जय प्रकाश	श्री कामता प्रसाद	पारीछा, झाँसी	सदस्य	कृषि
10.	श्री हरगोविन्द कुशवाहा	श्री गोले	ग्रा. बमनुआ पो. टहरौली	सदस्य	वकालत
11.	श्री केशभान सिंह पटेल	श्री प्रहलाद वर्मा	ग्रा. बर्पाकिल, झाँसी	सदस्य	कृषि (रत्नीकार)

6. "हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते है कि हमने उपरोक्त स्मृति-पत्र व संलग्न नियमावली को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 21 सन् 1860 के अन्तर्गत समिति का गठन किया है।"

दिनांक : 30.05.98

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
झाँसी

Manager
Seth M. R. Jaipuria school
Simardha, Jhansi

(Anita Bhatt)
Principal
Seth M. R. Jaipuria School
Simardha, JHANSI (U.P.)

नियमावली

1.संस्था का नाम — श्री घनाराम ग्राम विकास संस्थान

2.संस्था का पता — ग्राम-परीछा पो. परीछा जिला-झाँसी उ.प्र.

3.संस्था का कार्य क्षेत्र — सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश रहेगा ।

4.संस्था के उद्देश्य — स्मृति-पत्र के अनुसार होंगे

5.संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :

कोई भी व्यस्क व्यक्ति संस्था द्वारा अथवा उसके निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करने पर संस्था का सदस्य बन सकेगा परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सदस्यता हेतु प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा उसे अनुमोदित कर दिया गया हो ।

सदस्यों के वर्ग :

1. आजीवन सदस्य :

जो व्यक्ति इस संस्था का एक मुश्त एक बार सदस्यता शुल्क के रूप में 1001/ रूपया या इससे अधिक मूल्य की सम्पत्ति देगा वह व्यक्ति संस्था का आजीवन सदस्य होगा।

2. सामान्य सदस्य :

जो व्यक्ति संस्था को प्रतिवर्ष 51/रूपया अथवा इससे अधिक मुल्य की सम्पत्ति दानस्वरूप देगा वह संस्था का सामान्य सदस्य होगा ।

3. विशिष्ट सदस्य :

जो व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र मे अथवा सामाजिक क्षेत्र में विशेष स्थान रखते हो जिन्हें संस्था के विशिष्ट सदस्य होंगे, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे व्यक्ति मतदान में भाग लेने के अधिकारी न होगे तथा न ही सदस्यता शुल्क के रूप में कोई धनराशि ही अदा करेंगे ।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार

Manager
Seth M. R. Jaipuria school
Simardha, Jhansi

(Anita Bhatt)
Principal
Seth M. R. Jaipuria School
Simardha, JHANSI (U.P.)

..8..

6. सदस्यता की समाप्ति : संस्था की सदस्यता की समाप्ति निम्न कारणों में से किसी एक कारण के होने पर की जा सकेगी ।

1. किसी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर,

2. पागल या दिवालिया हो जाने पर,

3. सदस्यता शुल्क अदा न करने पर,

4. प्रबन्धसमिति को अपना त्याग पत्र देने पर,

5. न्यायालय द्वारा किसी अनैतिक अपराध में दण्डित किये जाने पर,

6. लगातार बिना सूचना के तीन बैठको मे अनुपस्थिक रहने पर,

7. अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर,

8. संस्था के विरूद्व कार्य करने पर,

7. संस्था के अँग : अ. साधारण सभा, ब. प्रवन्धकारिणी समिति,

8. साधारण सभा : अ. गठन : साधारण सभा का गठन समस्त प्रकार के सदस्यों को मिलाकर होगा ।

ब. बैठक : साधारण सभा की वर्ष मे दो बैठक अनिवार्य होगी, विशेष बैठक आवश्यकतानुसार सूचना देकर कभी भी बुलाई जा सकेगी ।

स. सूचना अवधि : साधारण सभा की वार्षिक बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जाना आवश्यक है, सूचना व्यक्तिगत रूप से अथवा यू.पी.सी. डाक द्वारा दी जा सकेगी ।

द. गणपूर्ति : साधारण सभा की बैठको का कोरम कुल सदस्यों का 2/3 होगा परन्तु स्थगित बैठको के लिए कोरम का बन्धन नहीं होगा बशर्ते एजेण्डा न बदला जाय

प्रबन्धक

सत्य प्रतिलिपि

Manager
Seth M. R. Jaipuria school
Simardha, Jhansi

(Anita Bhatt)
Principal
Seth M. R. Jaipuria School
Simardha, JHANSI (U.P.)

य. विशेष वार्षिक अधिवेशन : साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन प्रतिवर्ष होगा जिसकी तिथि का निर्धारण प्रबन्धकारिणी सर्वसम्मति से करेगी ।

र. साधारण सभा के कर्तव्य/अधिकार :

1. साधारण सभा अपने प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों का निर्वाचन करेगी ।

2. संस्था की नीति निर्धारण करना व नियमों विनियमों में संशोधन करना ।

3. प्रबन्धकारिणी समिति में हुऐ रिक्त स्थान की पूर्ति करना ।

4. वार्षिक आय एवं व्यय का हिसाब (बजट) पास करना ।

5. भ्रष्ट सदस्यों को संस्था से निकालने का अधिकार साधारण सभा को होगा।

6. कार्य विशेष के लिए उप समितियों का गठन करना तथा अधिकार क्षेत्र कार्य निर्धारण करना ।

9. प्रबन्धकारिणी समिति : अ. गठन : प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा द्वारा होगा, व पद स्मृति-पत्र के अनुसार होंगे श्री श्याम सुन्दर सिंह संस्था के आजीवन प्रबन्धक रहेंगे व शेष पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन होगा।

ब. बैठक सामान्य/विशेष : प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक में दो बार आवश्यक हुआ करेगी व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकेगी ।

स. सूचना अवधि : प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक की सूचना एक सप्ताह पूर्व जायेगी तथा विशेष बैठक की सूचना दो दिन पूर्व दी जाना आवश्यक है ।सभी सूचनाऐं लिखित दी जायेगी ।

द. गणपूर्ति : प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक का कोरम 2/3 बहुमत से होगा, स्थगित बैठकों के लिए कोरम की बाध्यता न होगी बशर्ते एजेण्डा न बदला जाय ।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

Manager
Seth M. R. Jaipuria school
Simardha, Jhansi

(Anita Bhatt)
Principal
Seth M. R. Jaipuria School
Simardha, JHANSI (U.P.)

व. रिक्त स्थान की पूर्ति आदि : , प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के आकस्मिक रिक्त स्थान की पूर्ति शेष अवधि के लिए प्रबन्धकारिणी समिति साधारण सभा के सदस्यो मे से चयन/नामित कर करेगी ।

र. प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार/कर्तव्य : 1. संस्था के संचालन एंव साधारण सभा के प्रस्ताव का पालन करना और योजनाएँ बनाना ।

2. संस्था की उन्नति हेतु नियमो/विनियमों को बनाना व साधारण सभा से उसकी पुष्टि कराना ।

3. संस्था के उद्देश्यो की पूर्ति हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, खादी ग्रामोद्योग, आयोग, बोर्ड, समाज कल्याण, शिक्षा विभाग आदि अन्य विभागो, प्रतिष्ठानो से ऋण, दान, अनुदान आदि समस्त प्रकार की सहायताएँ प्राप्त करना ।

ल. कार्यकाल : प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा ।

10. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार/कर्तव्य :

अध्यक्ष 1. संस्था की सभी प्रकार की बैठको की अध्यक्षता करना।

2. संस्था के हितार्थ कोई भी कार्य जो आम सभा से स्वीकृत हो करना।

3. संस्था की देखभाल करना व बैठकों की तिथियाँ निश्चित एंव बैठके स्थगित करना ।

4. सदस्यो के विशेष अनुरोध पर बैठक बुलाने का आदेश देना व गतिरोध उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देना ।

उपाध्यक्ष : अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे बैठको की अध्यक्षता करना और अध्यक्ष द्वारा बताये गये कार्यो को करना व संस्था के विकास हेतु कार्य करना ।

प्रबन्धक/मंत्री : 1. प्रबन्धकारिणी समिति का यह मुख्य पदाधिकारी होगा।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

Manager
Seth M. R. Jaipuria school
Simardha, Jhansi

(Anita Bhatt)
Principal
Seth M. R. Jaipuria School
Simardha, JHANSI (U.P.)

2. संस्था के बाहर जाने वाले कागजातों तथा रिपोर्ट को साधारण एवं हस्ताक्षरित करना, और समस्त प्रकार की सरकारी व गैर सरकारी विभागों से पत्र व्यवहार व कार्यवाही करना ।

3. संस्था की पूँजी को प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा पास नियमों के अधीन किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखना व संस्था में प्राप्त चन्दा, सहायता शुल्क दान, अनुदान प्राप्त करना ।

4. प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा लिये गये निर्णयों पर अपने विवेक व अध्यक्ष की पूर्ण सहमति के द्वारा विचार कर अन्तिम रूप से निर्णय देना व संस्था की उन्नति हेतु हर सम्भव प्रयास करना और संस्था के पूर्ण लेखाजोखा संबंधी कागजातो को अपनी निगरानी मे रखना ।

<u>उपप्रबन्धक :</u> प्रबन्धक/मंत्री की अनुपस्थिति उसके द्वारा बताये गये कार्यो का करना और संस्था के विकास हेतु कार्य करना। और उनके कार्यों में सहयोग देना।

<u>कोषाध्यक्ष :</u> अध्यक्ष व प्रबन्धक/मंत्री द्वारा बताये गये कार्यों को करना व कोष संबंधी समस्त अभिलेखों को तैयार कर अध्यक्ष को सौंपना, व संस्था के विकास हेतु कार्य करना ।

<u>आय व्यय निरीक्षक :</u> संस्था के सम्पूर्ण आय व्यय का आडिट करना व अपनी आडिट रिर्पोट को साधारण सभा में अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करना व आडिट प्रापत्रो को सुरक्षित रखना व संस्था के विकास हेतु योगदान देना ।

<u>11.संस्था के नियमों/विनियमों में संशोधनों प्रकिया :</u> संस्था के नियम विनियमों मे संशोधन साधारण सभा के सदस्यों के 2/3 बहुमत के आधार पर ही होगा।

<u>12. संस्था का कोष :</u> संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा पोस्ट आफिस मे संस्था के नाम खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसके खाते का संचालन संस्था के प्रबन्धक/मंत्री व कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों मे होगा ।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
झाँसी

Manager
Seth M. R. Jaipuria school
Simardha, Jhansi

(Anita Bhatt)
Principal
Seth M.R. Jaipuria School
Simardha, JHANSI (U.P.)

13. संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) : संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण आडिट प्रतिवर्ष किया जायेगा जो किसी सुयोग्य लेखानिरीक्षक द्वारा कराया जायेगा, जिसकी रिपोर्ट वार्षिक अधिवेशन में साधारण सभा में प्रस्तुत किया जायेगी।

14.संस्था द्वारा अथवा असके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व :

1. संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध संचालित अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व संस्था के प्रबन्धक/मंत्री को होगा, अथवा उसके द्वारा किसी अधिकृत व्यक्ति को होगा।

15. संस्था के अभिलेख : संस्था की निम्नलिखित अभिलेख होंगे व आवश्यकतानुसार बनाये भी जा सकेंगे ।

1. सदस्यता रजिस्टर, 2. कार्यवाही रजिस्टर, 3. एजेण्डा रजिस्टर, 4. [illegible] रजिस्टर, 5. कैश बुक आदि अभिलेख होंगे ।

16. संस्था का विघटन : संस्था की विघटन और विघटित सम्मपत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियक की धारा 13 के 14 अनुसार ही होगी।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
झांसी

सत्यप्रतिलिपि,

दिनांक : 30.05.98

प्रबन्धक

(Anita Bhatt)
Principal
Seth M. R. Jaipuria School
Simardha, JHANSI (U.P.)

Manager
Seth M. R. Jaipuria school
Simardha, Jhansi

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

89AC 812600

यह जनरल स्टाम्प पपर श्री ....

जिला झाँसी पत्रावली .... के .... संलग्न है

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ0प्र0 झाँसी
18-2-16

क्षेत्रीय कार्यालय सहायक निबंधक ... उत्तर प्रदेश, झाँसी

(Anita Bhatt)
Principal
Seth M. R. Jaipuria School
Simardha, JHANSI (U.P.)

Manager
Seth M. R. Jaipuria school
Simardha, Jhansi

संशोधित स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम : श्री घनाराम ग्राम विकास संस्थान
2. संस्था का पूरा पता : ग्राम पो० परीछा जिला झाँसी (उ०प्र०)
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश रहेगा
4. संस्था के उद्देश्य : निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :

1. जनहित में लोगो का सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, शारीरिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं मानसिक विकास करना जिससे राष्ट्र में सुयोग्य नागरिकों का निर्माण हो सके।
2. संस्था द्वारा तकनीकी प्रशिक्षण आधुनिकीकरण हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना कर उनका संचालन करना।
3. पिछड़े जाति व अनुसूचित जातियों के बालक व बालिकाओं को शासन द्वारा दी जाने वाली सहायताओं से अवगत कराकर उन्हें सहायता प्राप्त कराने का प्रयास करना।
4. बालक व बालिकाओं के शैक्षिक विकास हेतु हिन्दी, अग्रेजी, संस्कृत शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर उनमें प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर की शिक्षण संस्थाओ विद्यालय की स्थापना कर उनका संचालन करना।
5. बालक/बालिकाओं के लिए निःशुल्क पुस्तकालय, वाचनालय, छात्रावास, व्यायामशाला व खेलकूद आदि की समुचित व्यवस्था करने का प्रयास करना।
6. जाति धर्म और भाषा के आधार पर उत्पन्न द्वेष भावना, वैमनष्यता की भावनाओं का दूर कर उनमे राष्ट्रीय एकताकी भावना का विकास करने का प्रयास करना जिससे राष्ट्र में सुयोग्य नागरिकों का निर्माण हो सके।
7. गरीब अनुसूचित जातियों की बालिकाओं, महिलाओं के निःशुल्क तकनीकी प्रशिक्षण हेतु सिलाई, कढ़ाई बुनाई, कताई, पेटिंग प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना कर उन्हें संचालित करने का प्रयास करना जिससे महिलाऐं आत्म निर्भर हो सके।
8. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रति जागृति लाना और परिवार कल्याण साधन सुलभ कराने का प्रयास करना।
9. महिलाओं और बच्चों, वृद्धों के लिए धर्मार्थ आश्रम बनाना, नारी सुलभ शौचालय केन्द्र एवं बाल विकास केन्द्रों की स्थापना करना व उन्हे रोजगार परख शिक्षा व पूर्ण सहयोग प्रदान करने का प्रयास करना।
10. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी बैंक वित्तीय संस्थान, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार इत्यादि से दान, ऋण, वित्तीय सहायता प्राप्त करना उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संस्था की सम्पतियों को गिरवी रखना एवं अन्य सदस्यों की जमानत स्वीकार करना।
11. जनहित चिकित्सा सुविधा उपलब्घ कराने हेतु अस्पताल आदि का निर्माण कराना।
12. दैवीय आपदाओं के समय पीड़ित जनता, के मध्य राहत कार्य करना जैसे युद्ध, महामारी, दुर्घटना, बाढ़, सूखा आदि इसके लिये पीड़ित जनता की सहायता विभिन्न प्रकार के रचनात्मक एवं सांस्कृतिक कार्यकमो के आयोजन के द्वारा उन्हे मुफ्त भोजन, बस्त्र, दबा आवागमन हेतु संसाधन उपलब कराना।

केन्द्रीय कार्यालय सहायक निबन्धक ... उत्तर प्रदेश, झाँसी

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ०प्र० झांसी

प्रबन्धक

Manager
Seth M. R. Jaipuria school
Simardha, Jhansi

(Anita Bhatt)
Principal
Seth M. R. Jaipuria School
Simardha, JHANSI (U.P.)

5. प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियो/सदस्यों के नाम, पिता/पति का नाम पता पद एवं व्यवसाय जिन्हे संस्था के नियमों के अनुसार कार्यभार सौंपा गया ।

क्रमांक नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1. श्री घनाराम	श्री ज्वाला प्रसाद	ग्राम पारीछा जिला झाँसी	अध्यक्ष	कृषि
2. श्री वीर सिंह यादव	श्री भगवान दास	पारीछा बडागाँव झाँसी जिला झाँसी	उपाध्यक्ष	कृषि
3. श्री श्यामसुन्दर सिंह	श्री घनाराम	" " "	प्रबंधक / मंत्री	Ex. M. L. C.
4. श्रीमती अनुराधा सिंह	स्व0 रवीन्द्र सिंह	" " "	उपप्रबंधक	कृषि
5. श्री विशन सिंह	श्री घनाराम	650 सी0 आई0 सी0 कैम्पस झाँसी	कोषाध्यक्ष	ठेकेदारी
6. श्री राजेश त्रिवेदी	स्व0 श्रीराम	ग्राम पारीछा बडागाँव जिला झाँसी	आय, व्यय निरीक्षक	कृषि
7. श्री बलराम सिंह	श्री भगवान दास	ग्राम जौरीखुर्द बुजुर्ग जिला झाँसी	सदस्य	
8. श्री उदय सिंह	श्री कालका प्रसाद	ग्राम पारीछा बडागाँव जिला झाँसी	सदस्य	
9. श्री नरेन्द्र तिवारी	स्व0 नंद किशोर तिवारी	ग्राम सिजवाहा झाँसी	सदस्य	
10. श्री हरनाम सिंह	श्री ठाकुरदास	ग्राम पारीछा बडागाँव जिला झाँसी	सदस्य	
11. श्री प्रविन्द्र सिंह	श्री विशन सिंह	" " "	"	
12. श्री शिव सिंह	श्री नाथूराम	" " "	"	
13. श्री विक्रम सिंह	श्री प्रेम सिंह	272 सी0 पी0 मिशन कम्पा0 झाँसी	"	
14. श्रीमती उमा सिंह	श्री अजय सिंह	ग्राम पारीछा बडागाँव जिला झाँसी	"	
15. श्री शरद प्रताप सिंह	श्री श्याम सुन्दर सिंह	" " "	"	

"6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते है कि उपरोक्त स्मृति पत्र व संलग्न नियमावली को सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 21 सन् 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है"।

दिनांक

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ०प्र०, झांसी
18.2.16

प्रबन्धक
लक्ष्मणदास इण्टर कालेज
बडागाँव (झाँसी)

Manager
Seth M. R. Jaipuria school
Simardha, Jhansi

(Anita Bhatt)
Principal
Seth M. R. Jaipuria School
Simardha, JHANSI (U.P.)